# राजस्थान सरकार
## निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419


दिनांक 20/12/19

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CIT/2019-20/ 38106

**इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना**
**"महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क RS-CIT प्रशिक्षण"**

## परिपत्र

**उद्देश्य–**

वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में कम्प्यूटर मनुष्य की महती आवश्यकता बन चुका है, इससे समय–समय पर समस्त आवश्यक कार्य सुगमता व शीघ्रता से संपन्न होते हैं। दैनिक जीवन के अधिकतर कार्य कम्प्यूटर द्वारा किये जा रहे हैं। इस सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी महिलाओं को दिलवाया जाना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य से राज्य में महिलाओं को कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं कार्य शैली से अवगत कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को बेसिक कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिलवाये जाने का प्रावधान किया गया है।

**परिचय–**

उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा 2011–12 के अंतर्गत समाज के सभी वर्गो की महिलाओं यथा गृहणी, किशोरी बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य, कॉलेज छात्राएं तथा बीपीएल व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं को कम्प्यूटर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण राजस्थान नॉलेज कारपोरेशन लि. के माध्यम से दिलवाया जाएगा, जिसका समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

**पाठ्यक्रम–**

RS-CIT (राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इनफोरमेशन टेकनोलोजी)_प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण अवधि, आयु व अन्य जानकारी निम्नानुसार है–

- प्रशिक्षण 132 घंटे (3 माह) की अवधि का होगा।
- 16–40 वर्ष आयु वर्ग की 10वीं पास महिला प्रशिक्षण हेतु पात्र होगी।

## आवेदन प्रकिया–

**प्रशिक्षण की इच्छुक महिला/ बालिकाओं द्वारा किसी एक कोर्स के लिए निर्धारित प्रपत्र में** आवेदन किया जावेगा। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in व RKCL की वेबसाइट www.rkcl.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन पत्र मय आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु एवं अपनी श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्रों के पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक RKCL पोर्टल के लिंक www.myrkcl.com/wcd पर ऑनलाइन आवेदन करें। **आवेदन पत्र में आधार न0 भी अंकित करे** । ई--मित्र, साईबर कैफे या अन्य किसी माध्यम से www.myrkcl.com/wcd पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

**शैक्षणिक योग्यता एवं आयु संबंधी अनिवार्य प्रमाण पत्र–**

**1.RS-CIT कोर्स हेतु 10वी. कक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका**
**2. आयु सत्यापन हेतु दसवीं उत्तीर्ण प्रमाण--पत्र/जन्म प्रमाण पत्र**
**3. उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका**

**विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–**

**1. विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।**
**2. हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफआई आर की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति ।**
**3. साथिन /आंगनबाडी कार्यकर्ता मानदेय कर्मी के रूप में अपनी पहचान का दस्तावेज लगावें। आंगनबाडी कार्यकर्ता स्नातक उत्तीर्ण की अंकतालिका लगाएं।**
**4. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।**

योजना एवं चुनिन्दा IT ज्ञान केंद्रों की जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

## चयन प्रकिया–

निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरियता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उक्त लॉगिन में उपलब्ध वरियता सूची की जांच कर जिला स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा जिलेवार एवं आई.टी.ज्ञान केन्द्रवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों का ऑन लाइन चयन किया जायेगा:–